Madhya Pradesh and Tamil Nadu have prepared action plan on children in pursuance of the National Plan of action for children;

(b) if so, the areas covered by this action plan; and

(c) which other States are expected to follow these three States in preparing their action plan in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVARAJESWARI): (a) and (b) Yes, Sir. The National Plan of Action on Children covers areas like Health, Maternal Health, Nutrition, Water and Sanitation, Education, Children in especially difficult circumstances, Girl Child, Adolescent Girls, Children and the Environment, Women, Advocacy & People's Participation. The National Plan of Action has further been reinforced by adopting mid-decade goals in the areas of basic education, health, child labour, drinking water and sanitation.

(c) The Central Government has urged upon all the State Governments/Union Territory Administrations to prepare Plan of Action for Children in respect of their States/UTs on the basis of the National Plan of Action for Children specifying the targets for 1995 as well as 2000 and spelling out the strategy by taking into account the regional disparities that may exist in their respective State/Union Territory Administration. In addition to these three States, the State of West Bengal has also prepared and adopted the State Plan of Action on Children. The State Governments of Andhra Pradesh, Meghalaya, Goa and National Capital Territory of Delhi have prepared their Draft State Plans of Action which are expected to be adopted soon.

The State Plan of Action in the States of Manipur, Haryana, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Kerala, Orissa, Rajasthan and Uttar Pradesh are in the draft stages.

दक्षिणी और पश्चिमी भारत की देवदासियों पर सर्वेक्षण

†4299. **श्री प्रमोद महाजन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने दक्षिण और पश्चिम भारत की देवदासियों के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक समिति बनायी थी;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के अनुसार देवदासियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार इन देवदासियों के पुनर्वास के बारे में या उन्हें शोषण से मुक्त कराने के लिए विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि कानून और उसके प्रचार के बावजूद सरकार इस कुप्रथा को रोकने में असफल रही है;

(च) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(छ) इस कुप्रथा को रोकने तथा देवदासियों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (महिला और बाल विकास विभाग) (श्रीमती बासवराजेश्वरी): (क) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है जिसने अन्य मुद्दों के साथ-साथ देवदासियों की समस्याओं के संबंध में भी जांच की।

(ख) हालांकि समिति ने देवदासियों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया। द्वितीयक स्रोतों से पता चलता है कि उनकी अधिकतर संख्या कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में है। कर्नाटक के 6 जिलों में, जहां देवदासी प्रथा व्याप्त है, अनुमान है कि वर्ष 1991-92 में लगभग 21 हजार देवदासियां थीं। 1986 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला था कि आंध्र प्रदेश में 16, 300 जोगिनें थीं।

(ग), (घ) और (छ) देवदासी प्रथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ क्षेत्रों में विद्यमान है इन राज्यों ने देवदासी प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाए हैं:

1. आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण प्रतिषेध) अधिनियम, 1985;

2. कर्नाटक देवदासी (समर्पण प्रतिषेध) अधिनियम, 1987 तथा

3. बम्बई देवदासी संरक्षण अधिनियम, 1934

भारत सरकार ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं बनाया है। किन्तु इस प्रथा पर सन्

1978 और 1986 में यथा संशोधित अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के उपबन्ध लागू होते है। इस अधिनियम में मुक्त कराई गई महिलाओं और लड़कियों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, शिक्षा और पुनर्वास के लिए सुरक्षागृहों अथवा सुधारात्मक संस्थाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

बाल वेश्यावृत्ति से संबंधित केन्द्रीय सलाहकार समिति ने देवदासी (समर्पण प्रतिषेध) अधिनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए नियम बनाने तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमों की पनुरीक्षा किए जाने की सिफारिश भी की है। समिति ने मंदिरों में समर्पण के माध्यम से महिलाओं के शोषण के संबंध में एक व्यापक अध्ययन किए जाने की भी सिफारिश की है।

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने देवदासियों के लिए सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय आरंभ किए है।

राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:-

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार इन महिलाओं के लिए गृह स्थल/आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। देवदासियों के बच्चों को समुचित शिक्षा के लिए स्कूलों में दाखिला दिया जाता है तथा नि:शुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं भी दी जाती हैं। साठ वर्ष से अधिक आयु की देवदासियों को पेंशन दी जाती है। देवदासियों को भूमि भी प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा देवदासियों के लिए पोलिशिंग, साबुन बनाने, पापड़ बनाने, मोमबत्ती बनाने, जिल्दसाजी इत्यादि जैसे कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते है।

कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने राज्य में देवदासियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. महिला एवं बाल विकास निदेशालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है।

2. ऐसी महिलाओं, जो अन्यथा देवदासियां बन जातीं, के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने सौंदात्ती में एक किशोर गृह और अथानी में एक राजकीय गृह खोला है।

3. 415 देवदासी महिलाओं को जिला बेलगाम में जनता आवास उपलब्ध कराए गए हैं।

4. 74 देवदासी महलिाओं को जिला बीजापुर में डी डब्ल्यू सी आर ए स्कीम के अंतर्गत सहायता दी गई है; तथा

5. सरकार ने बेलगाम, बीजापुर, बेल्लारी, रायचूर, धारवाड़ और गुलबर्गा के छ: जिलों में, जिनका अभिनिर्धारण देवदासियों की अत्यधिक संख्या वाले जिलों के रूप में किया गया है, उपायुक्तों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम और महिला विकास निगम की सहायता से देवदासियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए है।

महाराष्ट्र

(क) देवदासियों अथवा उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए 10,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है; और

(ख) गदाहीनगलज, जिला कोल्हापुर और जाट, जिला सांगली में देवदासियों के लड़कों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र और होस्टल हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा देवदासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों के लिए होस्टल हेतु सरकार द्वारा 250 रु. प्रति माह (प्रति संवासी) का रखरखाव अनुदान दिया जाता है।

बाल वेश्यावृत्ति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति ने एक वृहत कार्य योजना, जिसमें आर्थिक पुनर्वास के उपाय तथा इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र का सृजन शामिल है। तैयार किए जाने की सिफारिश की है।

इस कुप्रथा के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक उपाय शुरू किए हैं। उदाहरणस्वरूप, महिला एवं बाल विकास विभाग ने देवदासियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र महिला विकास निगम को नोराड स्कीम के अंतर्गत दो परियोजनाओं की मंजूरी दी है। विभाग ने कर्नाटक में स्टेप स्कीम के अंतर्गत महिला हथकरघा विकास परियोजना भी स्वीकृत की है जिसके अंतर्गत 4500 निर्धन महिला लाभ प्राप्तकर्ता कवर होंगी और संभावना है कि इनमें से 1/4 लाभ प्राप्तकर्ता देवदासियां होंगी।

(ङ) और (च) देवदासी प्रथा एक सामाजिक बुराई है तथा सरकार, जागृति विकास, आर्थिक शक्तिसम्पन्नता और कानूनों के कड़ाई से प्रवर्तन के जरिए इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है। सामाजिक दृष्टिकोण, विशेषकर महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए सरकार इलैक्ट्रानिक, प्रिंट और फिल्म मीडिया के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की सकारात्मक छवि प्रदर्शित करने के लिए एक समेकित जन प्रचार अभियान और जागृति विकास के लिए कार्यक्रम चला रही है। लोगों में जागृति विकसित करने के लिए विभाग द्वारा कई टी.वी. स्पॉटों, क्विकीज, लघु चित्रों, रेडियो कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है जिसमें बालिकाओं और महिलाओं की सकारात्मक छवि दर्शाई गई है।